

अजमेर सिंह और अन्य वगैरह

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

नवंबर 17, 1989

[न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा और न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी]

*पंजाब भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1953, धारा 3,4,5 ए से 5 सी-लघु भूमि स्वामी-आरक्षण का अधिकार-क्या उठता है।*

ये अपीलें किरायेदारों द्वारा भूमि मालिकों के खिलाफ हैं।

बिशन दास नामक एक व्यक्ति के पास पाकिस्तान में काफ़ी भूमि ज़मीन थी। भारत चले जाने के बाद 11 अप्रैल, 1948 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद पुनर्वास विभाग ने उत्तरदाता संख्या 2 से 5 उनके पुत्रों और संख्या 6 और 7 जो उनके एक मृत पुत्र के कानूनी उत्तराधिकारी थे को 124 मानक एकड़ और 4-1/4 इकाइयाँ विस्थापित भूमि की इकाइयाँ आवंटित की। पाँच बेटों में से प्रत्येक को 24 मानक एकड़ और 13 इकाई भूमि का हकदार माना गया था और तदनुसार पुनर्वास विभाग द्वारा उनमें से प्रत्येक के संबंध में उत्परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों द्वारा उक्त उत्तरदाताओं को आवंटित भूमि के संबंध में स्थायी अधिकार भी प्रदान किए गए थे। इसके बाद उक्त उत्तरदाता-भूमि मालिकों ने धारा 9(1)(i) पंजाब भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1953 के तहत, इस आधार पर कि उनमें से प्रत्येक एक लघु भूमि का मालिक था जैसा कि अधिनियम की धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है और उन्हें स्व-खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है, उन किरायेदारों के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही शुरू की जिनका उस समय विचाराधीन भूमि प्रश्नाधीन भूमि पर कब्ज़ा था। हिसार के सहायक कलेक्टर ने आवेदन को खारिज कर दिया। उनकी अपीलें

कलेक्टर द्वारा 4.4.1965 को खारिज कर दी गई। अंबाला डिवीजन के आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत उनके पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया था। वित्त आयुक्त के समक्ष भूमि मालिक की पुनरीक्षण याचिका भी विफल रही, जिसके बाद उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका दायर की कि जमीन उन्हें पाकिस्तान में उनके पिता के स्वामित्व वाली भूमि के बदले में आवंटित की गई थी और परिणामस्वरूप उनमें से प्रत्येक का अनुमेय क्षेत्र की गणना अधिनियम की धारा 2(3) के प्रावधानों के तहत गणना की जानी थी, और इस प्रकार गणना की गई में पांचों में से प्रत्येक की हिस्सेदारी उसके तहत निर्धारित 20 मानक एकड़ की अनुमेय सीमा से काफी कम थी। उच्च न्यायालय ने समादेश याचिका को खारिज कर दिया।

उत्तरदाताओं ने लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 2(3) के परंतुक के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, विस्थापित व्यक्तियों के उत्तराधिकारी और वारिसान, जिन्हें भूमि आवंटित की गई थी, वे परंतुक के लाभ का दावा नहीं कर सकते थे और धारा 2(3) के मूल भाग के अंतर्गत अनुमेय क्षेत्र 60 साधारण एकड़ था

उत्तरदाताओं ने इस अदालत में अपील को प्राथमिकता दी। इस अदालत ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की। हालाँकि इस न्यायालय ने उत्तरदाता-भूमि मालिकों की ओर से दिए गए एक तर्क को स्वीकार कर लिया कि प्रत्येक भूमि-मालिक के अनुमेय क्षेत्र की गणना में, 15 अप्रैल, 1953 को "बंजर जादीद", "बंजर कदीम" और "गैर मुमकीन" भूमि के बेकार पड़े क्षेत्र को शामिल नहीं किया जा सकता है। चूंकि अधिकारियों ने इस प्रकार की भूमि को गलत तरीके से शामिल किया था, इसलिए उनके आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और मामले को संबंधित कलेक्टर को एक ऐसे निर्देश के साथ भेज दिया गया जो 15.4.1953 पर आवंटित उत्तरदाताओं की "बंजर जादीद", "बंजर कदीम" और "गैर मुमकिन" भूमि की सीमा का पता लगाए। जब ये

कार्यवाही लंबित थी, तो अपीलकर्ताओं-किरायेदारों द्वारा अधिशेष भूमि की खरीद के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर आवेदनों पर भी अधिकारियों द्वारा विचार किया गया। जब मामला वित्त आयुक्त के सामने आया तो उन्होंने कलेक्टर के आदेशों को दरकिनार कर दिया और अधिशेष भूमि की खरीद के लिए अपीलकर्ताओं-किरायेदारों के मामलों को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि कलेक्टर को अधिशेष भूमि के मामलों का फैसला भूमि मालिकों को अनुमत 60 एकड़ भूमि की अनुमति देने के बाद करना चाहिए। बाद की कार्यवाही में, वित्तीय आयुक्त ने कलेक्टर को सभी बंजर भूमि को छोड़कर अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया। किरायेदारों ने आदेश के खिलाफ वित्तीय आयुक्त के समक्ष याचिकाएं दायर कीं। लेकिन जब तक ये मामले आदेश के लिए सामने आए, तब तक इस अदालत ने भूमि मालिकों के बेदखली के मामलों यानी *मुंशी राम और अन्य वी. वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य*, [1979] 2 एससीआर 846 का फैसला कर लिया था।

इस प्रकार पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और कलेक्टर से संबंधित तिथि अर्थात्, 15 अप्रैल, 1953 के संदर्भ में अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कहा गया था। कलेक्टर ने अपने दिनांक 6.5.1982 के आदेश द्वारा तदनुसार "बंजर भूमि" को छोड़कर प्रत्येक भूमि मालिक के कब्जे वाले क्षेत्र को अनुमेय क्षेत्र से कम के रूप में निर्धारित किया और पाया कि उनके स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता है और उस आधार पर अपीलकर्ता किरायेदारों द्वारा दायर खरीद आवेदनों को खारिज कर दिया। अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिए जाने के बाद, उन्होंने अपने खरीद आवेदनों को खारिज करने पर सवाल उठाते हुए समादेश याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने समादेश याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने ये अपीलें दायर की हैं।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

पंजाब भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1953 का उद्देश्य भूमि मालिक के लिए अनुमत अधिकतम क्षेत्र तय करके भूमि रखने की सीमा निर्धारित करना है। दूसरे शब्दों में अनुमत क्षेत्र से अधिक अधिशेष क्षेत्र के रूप में उपलब्ध होगा जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा। [217 एच]

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि कोई व्यक्ति लघु भूमि का मालिक है या नहीं, अधिनियम की तारीख को किसी व्यक्ति द्वारा धारित कुल सीमा की गणना करने में बंजर भूमि को हिसाब में नहीं रखा जा सकता है। [ 216 सी]

आरक्षण की आवश्यकता तभी उत्पन्न होगी जब संबंधित तिथि पर भूमि-स्वामी के पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि होगी। [ 217 सी]

अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति को दिए गए आरक्षण का अधिकार, अन्य बातों के अलावा, उसे उस भूमि को चुनने का विकल्प देना है जिसे वह अपने पास रखना चाहता है और किरायेदार को अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी भी भूमि को चुनने में सक्षम बनाने के परिणामों में से एक से बचना चाहता है, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जो भूमि मालिक की व्यक्तिगत खेती के तहत है। [ 218 बी]

यह आवश्यक नहीं है और अधिनियम धारा 5 सी के तहत प्रदान किए गए परिणामों की पीड़ा पर, एक लघु भूमि-मालिक के लिए धारा 3,4,5,5 ए या 5 बी के तहत आरक्षण करना अनिवार्य नहीं बनाता है। [ 218 सी]

*भगवान दास बनाम पंजाब राज्य*, [1966] 2 एससीआर 510; *गुरबक्स सिंह बनाम पंजाब राज्य*, एआईआर. 1964 एससी 502, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1986 की सिविल अपील सं 806-810

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1984 के सिविल डब्ल्यूपी सं. 2050-2054 में निर्णय और आदेश दिनांक 16.3.1985 से।

अपीलार्थियों के लिए एम. एस. गुजराल और प्रेम मल्होत्रा।

उत्तरदाताओं के लिए कपिल सिब्बल, एम. आर. शर्मा, एस. के. मेहता, विनोद मेहता, अतुल नंदा और एम. के. दुआ।

निर्णय न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी द्वारा सुनाया गया-

एक बिशन दास जो उत्तरदाताओं 2 से 5 के पिता हैं और दूसरे का नाम मुहारी राम है जिनके कानूनी प्रतिनिधि उत्तरदाता 6 और 7 हैं, उनके पास पाकिस्तान में काफी जमीन थी। भारत प्रवास के बाद 11 अप्रैल, 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पुनर्वास विभाग ने 26 अगस्त, 1949 को 124 मानक एकड़ और 4-1/4 इकाई निष्क्रांत भूमि आवंटित की। बिशन दास के पाँच बेटों को विस्थापित व्यक्ति के उत्तराधिकारी और वारिसान के रूप में इस भूमि का हकदार माना गया था और तदनुसार पुनर्वास अधिकारियों द्वारा 17 फरवरी, 1953 को पाँच बेटों के पक्ष में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी, जिसमें उनमें से प्रत्येक को 24 मानक एकड़ और 13 इकाई भूमि का हकदार दिखाया गया था। इस आवंटित भूमि के संबंध में अधिकारियों द्वारा 2 जनवरी, 1956 को बिशन दास के पुत्रों के नाम पर उक्त विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थायी अधिकार भी प्रदान किए गए थे। ये जमीनें अलग-अलग किरायेदारों के कब्जे में थीं, जिनके खिलाफ पांच भाइयों ने पंजाब भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1953 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 9(1)(i) के तहत इस आधार पर निष्कासन के लिए आवेदन दायर करके निष्कासन की कार्यवाही शुरू की कि उनमें से प्रत्येक जैसा कि अधिनियम की धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है, वे " लघु भूमि का मालिक" हैं और उन्हें

स्व-खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है। सहायक कलेक्टर, हिसार ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया। मालिकों की अपील भी कलेक्टर द्वारा 4 जनवरी, 1965 को खारिज कर दी गई। अंबाला डिवीजन के आयुक्त ने 26 अक्टूबर, 1965 को उनके संशोधन को भी खारिज कर दिया था। वित्तीय आयुक्त के लिए आगे के उनके संशोधन का भी 17 मई, 1966 को वही परिणाम हुआ। इसके बाद भूमि मालिकों ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक समादेश याचिका द्वारा उच्च न्यायालय का इस आधार पर रुख किया कि पाकिस्तान में उनके पिता बिशन दास के स्वामित्व वाली भूमि के बदले में उन्हें भूमि आवंटित की गई थी और इसके परिणामस्वरूप उनमें से प्रत्येक के अनुमेय क्षेत्र की गणना अधिनियम की धारा 2 (3) के प्रावधान के तहत की जानी है और इस प्रकार की गई गणना में पांचों में से प्रत्येक की हिस्सेदारी इसके तहत निर्धारित 30 मानक एकड़ की अनुमेय सीमा से काफी कम थी। समादेश याचिका खारिज कर दी गई लेकिन उसी के खिलाफ दायर एलपी अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आई। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परंतुक के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए विस्थापित व्यक्तियों के उत्तराधिकारी और वारिसान, जिन्हें भूमि आवंटित की गई थी, परंतुक के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं और धारा 2 (3) के मूल भाग के तहत अनुमेय क्षेत्र 60 साधारण एकड़ है। पूर्ण पीठ के निर्णय निर्णय 1967 में पंजाब लॉ रिपोर्टर 913 में रिपोर्ट किया गया है। इस निर्णय के खिलाफ उत्तरदाता भूमि-मालिकों ने इस न्यायालय में अपील करना पसंद किया। इस न्यायालय ने *मुंशी राम और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य*, [1979] 2 एससीआर 846 मामले में 15 दिसंबर, 1978 के एक फैसले द्वारा पूर्ण पीठ के विचार की पुष्टि की। हालाँकि, इस न्यायालय ने भूमि-मालिकों की ओर से दिया तर्क स्वीकार किया कर लिया कि प्रत्येक भूमि-मालिक के अनुमेय क्षेत्र की गणना में, 15 अप्रैल, 1953 को "बंजर जादीद", "बंजर कदीम" और

"गैर मुमकीन" भूमि के बेकार पड़े क्षेत्र को शामिल नहीं किया जा सकता है। चूंकि अधिनियम के तहत अधिकारियों ने अवैध रूप से और गलत तरीके से इस प्रकार की बिना खेती वाली भूमि को शामिल किया था विभिन्न प्राधिकरणों के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और मामले को हिसार जिले के संबंधित कलेक्टर को इस निर्देश के साथ भेज दिया गया कि वह संबंधित तिथि, अर्थात् 15 अप्रैल, 1953 को भूमि-मालिकों के आवंटन के 'बंजर जादीद', 'बंजर कदीम' और 'गैर मुमकिन' की सीमा का पता लगाए और ऐसी भूमि को छोड़कर उनके अनुमेय क्षेत्र की पुनः गणना करें। अब यह पता चला है कि इस प्रकार गणना किए गए भूमि-मालिकों में से प्रत्येक के पास संबंधित तिथि पर 60 एकड़ से कम भूमि थी। जब ये कार्यवाही लंबित थी, तो अधिशेष क्षेत्र की खरीद के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत किरायेदारों द्वारा दायर आवेदनों पर भी विभिन्न अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा था। जब अधिशेष क्षेत्र के मामलों में भूमि मालिकों के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर ध्यान देने के बाद यह मामला हरियाणा के वित्तीय आयुक्त के समक्ष आया, तो वित्तीय आयुक्त ने कलेक्टर के आदेशों को रद्द कर दिया और अधिशेष भूमि की खरीद के किरायेदारों के मामलों को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया कि कलेक्टर भूमि-मालिकों को अनुमेय 60 एकड़ भूमि की अनुमति देने के बाद अधिशेष क्षेत्र के मामले का निर्णय करना चाहिए। इसके बा। कलेक्टर ने रिमांड आदेश के आलोक में अधिशेष क्षेत्र के मामलों पर विचार किया। तथापि, 2 फरवरी, 1978 के अपने आदेश द्वारा कलेक्टर ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि-मालिकों को अनुमेय क्षेत्र में उन सभी 'बंजर' भूमि को शामिल करना चाहिए जिन्हें तब से खेती के अंतर्गत लाया गया है और तदनुसार भूमि-मालिकों को अनुमेय क्षेत्र की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। भूमि-मालिकों की अपील पर वित्तीय आयुक्त ने मामलों को कलेक्टर को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि उसे सभी बंजर भूमि को छोड़कर मामलों का फैसला करना चाहिए।

किरायेदारों ने इस आदेश के खिलाफ वित्तीय आयुक्त को याचिका दायर की। जब तक ये मामले आदेश के लिए सामने आए, तब तक सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों को बेदखल करने के मामलों का फैसला 15 दिसंबर, 1978 (सुप्रा) को कर लिया था। इसलिए, पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी गईं। हालांकि, कलेक्टर को प्रासंगिक तिथि, 15 अप्रैल, 1953 के संदर्भ में अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कहा गया था। कलेक्टर ने 6 मई, 1982 के अपने आदेश द्वारा प्रत्येक भू-स्वामी के स्वामित्व वाले क्षेत्र का निर्धारण 'बंजर' भूमि को अनुमेय क्षेत्र से कम मानकर किया और इसलिए, उनके स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सका और तदनुसार, किरायेदारों द्वारा दायर खरीद आवेदन को खारिज कर दिया गया। आयुक्त ने 18 अप्रैल, 1983 के अपने आदेश द्वारा कलेक्टर के इस निर्णय की पुष्टि की।

किरायेदार वित्तीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण में गए। वित्तीय आयुक्त के समक्ष फिर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें 'बंजर' क्षेत्र को उनकी हिस्सेदारी से बाहर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि बाद में उन्हें खेती के तहत लाया गया था। वित्त आयुक्त भूमि-मालिकों से सहमत थे कि अनुमेय क्षेत्र की गणना के उद्देश्य से 'बंजर' भूमि को 'भूमि' के रूप में नहीं माना जा सकता है, कि अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक तिथि 15 अप्रैल, 1953 है और इस दृष्टिकोण से किरायेदारों द्वारा दायर खरीद आवेदनों को खारिज कर दिया गया। किरायेदारों ने अपने खरीद आवेदनों को खारिज करने पर सवाल उठाते हुए उनके द्वारा दायर समादेश याचिका में विफल होने के बाद ये पांच अपील दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री गुजराल का मुख्य तर्क इन मामलों में यह था कि इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या कोई व्यक्ति अधिनियम के उद्देश्य से एक लघु भूमि का मालिक है, उसके स्वामित्व वाली पूरी भूमि, चाहे वह खेती की गई हो या नहीं, और चाहे वह बंजर हो या कोई अन्य भूमि, को ध्यान में



रखा जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई भूमि का कुल विस्तार अनुमेय क्षेत्र से अधिक है।

यदि इस प्रकार गणना की गई भूमि का कुल विस्तार अनुमेय क्षेत्र से अधिक है, तो जब तक भूमि मालिक ने धारा 3,4,5, और 5 ए में विचार के अनुसार आरक्षित नहीं किया है, तो उस पर धारा 5 सी के तहत जुर्माना लगता है और 'अनुमेय क्षेत्र को को घटाकर '10 मानक एकड़ कर दिया जाएगा और फिर वह इन 10 मानक एकड़ को भी नहीं चुन सकता है, लेकिन किरायेदारों के पास भूमि-मालिक की व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि सहित भूमि-मालिक की किसी भी भूमि को खरीदने का विकल्प होगा, केवल 10 मानक एकड़. छोड़कर। इस रूप में मुद्दा पहले कभी नहीं उठाया गया था और इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने न्यायालय में पहली बार इसे उठाने पर आपत्ति जताई। लेकिन चूंकि यह कानून का सवाल है और तथ्य विवाद में नहीं थे, इसलिए हमने वकील को इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। यह विवाद में नहीं है कि भूमि मालिकों ने मूल रूप से धारा 3,4 और 5 के तहत कोई आरक्षित नहीं किया था और न ही उन्होंने धारा 5 ए लागू होने के बाद इसे, 5 ए लागू होने के बाद ऐसा किया था, हालांकि उनकी भूमि धारा 5 ए के भीतर एक से अधिक पटवार सर्कल में स्थित थी। हालाँकि, भूमि-मालिकों द्वारा यह रुख अपनाया गया था कि वे 60 एकड़ से कम भूमि वाले लघु भूमि मालिक थे और इसलिए, वे कोई आरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं थे और धारा 5 सी बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगी।

निम्नलिखित प्रस्ताव को भगवान दास बनाम पंजाब राज्य, [1966] 2 एससीसी 510 और मुंशी राम बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा (सुप्रा) में अदालत के निर्णयों द्वारा तय किया गया है।

1. अनुमेय क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने की प्रासंगिक तारीख 15 अप्रैल, 1953 है, जिस तारीख को पंजाब भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1953 लागू हुआ था, न कि वह तारीख जिस पर बेदखली आवेदन दायर किया गया था।

2. यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ में एक लघु भूमि का मालिक है, तो उसकी भूमि के गुण में सुधार या जोतों के अनिवार्य चकबन्दी पर भूमि के पुनः आवंटन के कारण उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है।

3. अधिनियम के तहत अनुमेय क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र की गणना करते समय बंजार कदीम और बंजार जदीद और गैर मुमकिन को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

4. बंजार कदीम और बंजार जदीद अधिनियम के तहत 'भूमि' की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें कृषि के अधीन कृषि उद्देश्यों के लिए कब्जा या किराए पर नहीं दिया जा रहा है।

5. ऐसे व्यक्ति जो विस्थापित व्यक्ति नहीं है, के लिए धारा 2(3) के मूल भाग के तहत अनुमेय क्षेत्र साठ साधारण एकड़ है।

6. उपज की मात्रा और मिट्टी की गुणवत्ता के संदर्भ में निर्धारित पैमाने के अनुसार किसी भी वर्ग की भूमि के सामान्य क्षेत्रों में परिवर्तनीय क्षेत्र का एक माप होने के नाते मानक एकड़ की अवधारणा को भूमि के गुणात्मक पहलू पर जोर देने के लिए अनुमेय क्षेत्र की परिभाषा में पेश किया गया है, भूमि स्वामित्व इसका गुणात्मक और साठ एकड़ की अधिकतम सीमा इसका मात्रात्मक पहलू है।

लघु भूमि-स्वामी को परिभाषित करने वाले अधिनियम की धारा 2 (2) इस प्रकार है:

"लघु भूमि-स्वामी का अर्थ है भूमि-स्वामी जिसकी पंजाब राज्य में पूरी भूमि 'अनुमेय क्षेत्र' से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण: किसी विशेष भूमि मालिक द्वारा रखे गए क्षेत्र की गणना करते समय, पंजाब राज्य में उसके स्वामित्व वाली पूरी भूमि, जैसा कि अधिकारों के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, को ध्यान में रखा जाएगा, और यदि वह संयुक्त मालिक है तो केवल उसका हिस्सा ही ध्यान में रखा जाएगा।"

अपीलकर्ता के विद्वान वकील चाहते थे कि हम धारा 2(8) में 'भूमि' शब्द की परिभाषा के संदर्भ में "संपूर्ण भूमि" शब्दों को समझें और व्याख्या करें और वह उप-खंड इस प्रकार है:

"भूमि" और अन्य सभी शब्द जिनका उपयोग किया गया है, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 (1887 का XVI) में दिया गया है।"

पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धारा 4 (1) भूमि को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"भूमि" का अर्थ है वह भूमि जो किसी शहर या गांव में किसी भवन के स्थल के रूप में नहीं है और कृषि प्रयोजनों के लिए या कृषि के अधीन प्रयोजनों के लिए, या चारागाह के लिए कब्जा की गई है या किराए पर दी गई है, और इसमें ऐसी भूमि पर इमारतों और अन्य संरचनाओं के स्थल शामिल हैं।"

इस न्यायालय ने मुंशी राम बनाम वित्तीय आयुक्त, (सुप्रा) में निर्णय दिया था कि बंजर कदीम और बंजर जादीद अधिनियम के तहत भूमि की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि उन पर कब्जा नहीं किया जा रहा है या कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि के अधीन उद्देश्यों के लिए किराए पर नहीं दिया जा रहा है। यह आवश्यक रूप से

इस प्रकार है कि अधिनियम की तिथि पर किसी व्यक्ति द्वारा धारित कुल सीमा की गणना करते समय यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति छोटी भूमि का मालिक है, इन बंजर भूमि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

हम इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि एक भूमि मालिक को सभी मामलों में इस अधिनियम के तहत आरक्षित करना होगा, भले ही वह लघु भूमि का मालिक हो या नहीं। इस प्रकार इस धारा का तात्पर्य है कि एक लघु भूमि-स्वामी के रूप में वह कोई भी आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं था। अधिनियम की धारा 3 एक छोटे भूमि-मालिक के बारे में बात करती है, जो निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के तहत अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किए गए आवंटन के आधार पर "भूमि के अनुमेय क्षेत्र से अधिक का मालिक बन जाता है"। यह धारा इस बात को सक्षम बनाती है और प्रदान करती है कि ऐसे मामले में छोटा भू-स्वामी अपने पास मौजूद संपूर्ण क्षेत्र में से भू-स्वामी के रूप में अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का चयन नहीं करते हुए इसे अपने लिए आरक्षित कर सकता है।

धारा 4 उस मामले से संबंधित है जहां व्यक्ति एक लघु भूमि का मालिक नहीं था, लेकिन उसने मूल 1950 अधिनियम के तहत आरक्षण किया था जिसे 1953 के अधिनियम द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया था। यह प्रावधान उसे नए सिरे से चयन और आरक्षण करने में सक्षम बनाता है यदि निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 के तहत उसका आवंटन उसके पिछले आरक्षण के बाद से संशोधित या पुनरीक्षित किया गया था। अधिनियम की धारा 5 प्रदान करती है:

“इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कोई भी आरक्षण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अधीन, कोई भी भू-स्वामी जिसके पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि है, वह अपने द्वारा धारित संपूर्ण भूमि में से भूमि स्वामी के रूप

में पंजाब राज्य में कोई भी जमीन के टुकड़े या टुकड़ों जो अनुमेय से अधिक न हो आरक्षित कर सकता है, उसके चयन की सूचना निर्धारित प्रपत्र और तरीके से उस संपत्ति के पटवारी को, जिसमें आरक्षित भूमि स्थित है, या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो निर्धारित किया जा सकता है।”

इसके लिए फिर से केवल उस भू-स्वामी की आवश्यकता होती है जिसके पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसे अनुमेय क्षेत्र से अधिक न होने वाली सीमा तक नया चयन और आरक्षण करना होगा। धारा 5 ए उस मामले से भी संबंधित है जहां एक भूमि मालिक के पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि है, लेकिन यह उस भूमि मालिक के संदर्भ में है जिसके पास एक से अधिक पटवार वृत्त में भूमि स्थित है। धारा 5 बी एक भूमि-मालिक को अधिकृत करती है जिसके पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि है लेकिन उसने पहले उस अनुभाग में उल्लिखित विस्तारित अवधि के भीतर अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने और आरक्षित करने के लिए आरक्षण के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार आरक्षण करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होगी जब संबंधित तिथि पर भूमि मालिक के पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि हो।

इस अदालत ने *गुरबखश सिंह बनाम पंजाब राज्य*, एआईआर 1964 एससी 502 में स्वीकार किया कि:

"इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह प्रतीत होता है:

(i) बशर्ते कि एक भूमि-स्वामी/किरायेदार को 30 मानक का 'अनुमेय क्षेत्र' प्रतीत हो, जिसे वह स्व-खेती के लिए रख सकता है;

(ii) धारा 9 में निर्दिष्ट अनुसार किरायेदारों की बेदखली के दायित्व को कम करके उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना;

(iii) अधिशेष क्षेत्रों का पता लगाना और उन क्षेत्रों पर बेदखल किरायेदारों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना;

(iv) किरायेदारों द्वारा देय अधिकतम किराया तय करना, और

(v) कुछ परिस्थितियों में किरायेदारों को उनकी किरायेदारी पूर्व-खाली करने और खरीदने का अधिकार प्रदान करना।"

इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य भूमि-मालिक द्वारा रखे जाने वाले अधिकतम क्षेत्र को तय करके भूमि के स्वामित्व पर एक सीमा लगाना भी है। दूसरे शब्दों में, अनुमेय क्षेत्र से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटाए जाने वाले अधिशेष क्षेत्र के रूप में उपलब्ध होगा। बेदखली के लिए किरायेदार के दायित्व से संबंधित अधिनियम की धारा 9(1)(i) में कहा गया है कि "इस अधिनियम के तहत आरक्षित क्षेत्र के किरायेदार या एक छोटे भूमि-मालिक के किरायेदार हैं" बेदखली के लिए उत्तरदायी हैं। यदि प्रत्येक मामले में चाहे वह व्यक्ति एक लघु भू-स्वामी हो या नहीं, उसे आरक्षण करना पड़ता था, तो इस खंड के बाद के हिस्से में लघु भू-स्वामी के किरायेदार का उल्लेख करना बिल्कुल आवश्यक नहीं था। अनुमत क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति को दिए गए आरक्षण का अधिकार, अन्य बातों के अलावा, उसे उस भूमि का चयन करने का विकल्प देना है जिसे वह अपने लिए रखना चाहता है और किरायेदार को अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी भी भूमि को चुनने में सक्षम बनाने की शर्तों में से एक से बचना है, जिसमें वह भी शामिल है जो भूमि मालिक की व्यक्तिगत खेती के तहत है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 18 एक किरायेदार को स्वयं विशेष रूप से "एक लघु भूमि-मालिक के अलावा" अन्य भूमि-मालिक" के खिलाफ खरीद का अधिकार प्रदान करती है। इसलिए, हमारे विचार में, यह आवश्यक नहीं है और अधिनियम धारा 5 सी

के तहत प्रदान किए गए परिणामों की पीड़ा पर, एक लघु भूमि-मालिक के लिए धारा 3,4,5,5ए या 5बी के तहत आरक्षण करना अनिवार्य नहीं बनाता है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि 0.33 साधारण एकड़ के क्षेत्र को भूमि-मालिक द्वारा आयोजित कुल सीमा का निर्धारण करने में इस आधार पर बाहर रखा गया था कि यह क्षेत्र पुराने किरायेदारों के अधीन था और इसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को किसी भी स्तर पर नहीं उठाया गया था। इस क्षेत्र से संबंधित कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और इसलिए, हम वकील को इस न्यायालय में पहली बार इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, इस न्यायालय में सभी अपीलों में पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

Y. Lal

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।